

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./25/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री जोगा सिंह	लैब टैक्नी०	बी०डी० पाण्डे जिला चिकि० नैनीताल	उप जिला चिकि० काशीपुर, उधमसिंहनगर	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./25/2024/

21146

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमौऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/उधमसिंह नगर।
- प्रमुख/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/बी०डी० पाण्डे जिला चिकि० नैनीताल/उप जिला चिकि० काशीपुर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/उधमसिंह नगर।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./25/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री खयालीदत्त तिवारी	लैब टैक्नी०	प्रा०स्वा०के० ताकुला, अल्मोड़ा	जिला चिकि० अल्मोड़ा	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।


(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./25/2024/ 21844

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./25/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024 /E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री अरविन्द चमोला	लैब टैक्नी०	सामु०स्वा०के० थलीसैण, पौड़ी	कार्या० जिला क्षयरोग अधिकारी नरेन्द्रनगर, टिहरी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।


पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./25/2024/

21/42

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/टिहरी, गढ़वाल।
- जिला क्षयरोग अधिकारी नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/टिहरी, गढ़वाल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./25/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री बलवीर सिंह	लैब टैक्नी०	जिला चिकि० रुद्रप्रयाग	उप जिला चिकि० ऋषिकेश, देहरादून	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।


पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./12/2024/

21140

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग/देहरादून।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० रुद्रप्रयाग/उप जिला चिकि० ऋषिकेश, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग/देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./25/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री नरेन्द्र पाल	लैब टैक्नी0	प्रा0स्वा0के0 मखदूमपुर, हरिद्वार	सामु0स्वा0केन्द्र थलीसैण, पौड़ी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./25/2024/

21138

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(तारा आर्या)

महानिदेशक।

31/08/24

(जे0 एस0 चुफाल)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./25/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री जितेन्द्र सिंह	लैब टैक्नी०	सामु०स्वा०के० खानपुर, हरिद्वार	सामु०स्वा०केन्द्र पाटीसैण, पौड़ी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./25/2024/ 21136

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./25/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024 /E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री गजेन्द्र मनवाल	लैब टैक्नी०	उप जिला चिकि० ऋषिकेश, देहरादून	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र यमकेश्वर, पौड़ी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।


21134

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./25/2024/

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, ऋषिकेश, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./25/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री रजनीश मिश्रा	लैब टैक्नी०	बी०डी० पाण्डे जिला चिकि० नैनीताल	जिला चिकित्सालय बागेश्वर	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।


पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./25/2024/

21132

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बी०डी० पाण्डे जिला चिकि० नैनीताल/जिला चिकि० बागेश्वर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


13/08/24
(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./25/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री सुनील नेगी	लैब टैक्नी०	टी०बी० क्लीनिक ऋषिकेश, देहरादून	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवप्रयाग	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/L.T./25/2024/ 21148

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/टिहरी, गढ़वाल।
- प्रमुख/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/टी०बी० क्लीनिक ऋषिकेश, देहरादून
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)